भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1279

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/ 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

गिग कामगारों और डिलिवरी कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

†1279. डॉ. संबित पात्रा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ई-कॉमर्स, खाद्य वितरण और राइड-हेलिंग प्लेटफार्मों के साथ काम करने वाले गिग कामगारों और डिलिवरी कर्मियों के कल्याण के लिए कोई कल्याणकारी योजना शुरू की है या शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज, पेंशन और कौशल विकास के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा में इन योजनाओं के अंतर्गत ऐसे गिग कामगारों और डिलिवरी कर्मियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में गिग कामगारों को ऐसे लाभ देने के लिए राज्य प्राधिकरणों या निजी कंपनियों के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु देश में गिग कामगारों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस या कल्याण बोर्ड बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफ़ॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल किया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 से लागू हुई है।

इस संहिता में, गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों के निर्माण का प्रावधान है। संहिता में कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का प्रावधान है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26.08.2021 को असंगठित कामगारों सहित प्लेटफ़ॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि का व्यापक केन्द्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को पंजीकृत करना और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनकी सहायता करना है।

जारी..2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' की भी शुरुआत की है, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा / कल्याण योजनाओं का एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण शामिल है। इसका उद्देश्य ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच और अब तक ई-श्रम के माध्यम से उन्हें प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अधिक से अधिक करने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से अप्रैल, मई और अगस्त-सितंबर, 2025 महीनों के दौरान तीन राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान आयोजित किए गए।

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क के लिए एग्रीगेटर्स, नॉलेज पार्टनर्स और प्लेटफॉर्म कामगार यूनियनों/एसोसिएशनों और राज्य सरकारों/ संघ-राज्य क्षेत्रों के साथ कई दौर का विचार-विमर्श किया गया है।

*****